

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 20/8/24

रीडर/2024/5009

बनाम

अप्रार्थीगण

1 लीलाराम 2 अजीताराम 3
धनाराम 4 बस्ताराम पिसरान
पेमराम 5 इन्दीदेवी पत्नी
पेमराम 6 जोगाराम 7
दीनाराम पिसरान खरथाराम 8
चूनीदेवी पत्नी खरथाराम 9
हरीराम पुत्र लच्छाराम 10
भीखाराम 11 प्राहलादराम 12
नारणाराम 13 लालाराम
पिसरान वनाराम जाति कुम्हार
प्रजापति निवासी जैसलाधोरा
विशाला आगोर तहसील एवं
जिला बाड़मेर।

1 केसराराम पुत्र राणाराम 2 किशनाराम 3
धनाराम पिसरान गोरखाराम 4 माधाराम पुत्र
राणाराम 5 बालीदेवी पत्नी राणाराम 6
सरूपाराम पुत्र राणाराम 7 सवाईराम पुत्र
गोरखाराम 8 सहदेव पुत्र राणाराम 9 देवाराम
पुत्र गजाराम 10 गेनाराम पुत्र चौथाराम 11
चणनाराम पुत्र नीम्वाराम 12 जबराराम पुत्र
सांगाराम वगैराह तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 430/2023

दिनांक- 13/08/24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जैसला धोरा पटवार हल्का विशाला आगोर तहसील व जिला
बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 420/195 रकबा 7.0982 हैक्टेयर, खसरा संख्या 421/195
रकबा 15.3618 हैक्टेयर व खसरा संख्या 422/195 रकबा 7.0982 हैक्टेयर, खसरा संख्या
423/195 रकबा 13.0309 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदर सिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/5010 to 5013

दिनांक- 20/8/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी लीलाराम पुत्र पेमराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी जैसलाधोरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी केसराराम पुत्र राणाराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी जैसलाधोरा तहसील व जिला
बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर